जाति उन्मूलन सिद्धान्त : वैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक चिन्तन डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचारों के संदर्भ में

प्रोफेसर (डॉ०) संजय कुमार[1] डॉ० रेनू[2]

[1]समाजशास्त्र विभाग एन०ए०एस०, कॉलेज, मेरठ
[2]पोस्ट डॉक्टर फैलोशिप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

शोध सारांश

भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉ० बी०आर० आम्बेडकर (भारत रत्न से सम्मानित) उनकी विचारधारा संघर्ष और उस संघर्ष के प्रति उनका आन्दोलन ही भारत की परम्परागत रूढ़िवादी अमानवीय जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना तथा समतावादी समाज का निर्माण करना है। उनके द्वारा भारतीय समाज भारत के संविधान को जनतांत्रिक रूप में प्रस्तुत किये जाने ओर संसद द्वारा एकमत से स्वीकार किये जाने के बाद भी दलित वर्ग के प्रति छुआछूत व तिरस्कार जैसी अमानवीय प्रवृत्ति के कारण उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में गुणात्मक बदलाव क्यों नही हो सका इत्यादि कारणों पर उन्होंने गहन चिन्तन कर विश्लेषण किया कि आजादी के बाद सत्ता में आयी लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीतिक स्तर, सामाजिक–सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति में गुणात्मक बदलाव क्यों नही हो पाया, किन कारणों से इनके हितों की अनदेखी होती रही है। (इत्यादि) सामाजिक विशेषकर जातिगत उत्पीड़न, शोषण और आर्थिक क्षेत्र की लगभग सभी इकाइयों से उनके बहिष्कार तथा सांस्कृतिक अलगाव के विभिन्न सन्दर्भों में राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के पश्चात् भी इस प्रकार के सन्दर्भों पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की चेतावानियाँ डॉ० भीमराव अम्बेडकर जी ने तत्कालीन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं को दी तथा जातिगत संबंधित मुद्दों को लेकर उन्होंने स्वयं यह लड़ाई भी लड़ी थी।

मुख्य शब्द :– समाज, दलित, शोषण, सामाजिक, राजनीतिक, परिस्थितियाँ, जाति जनजाति, वैज्ञानिक और सैद्धान्तिक चिंतन इत्यादि।

1. प्रस्तावना :–

दलितों के लिए जिन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों को चित्रित करने का प्रयास किया गया जिन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से दलित–वर्ग के समक्ष ऐसे हालात रहे या पैदा हो गये है, जिस कारण दलित वर्गों ने अमानवीय व्यवहार को सहन किया है। साथ ही उनके विकास का मार्ग भी अवरूद्ध हुआ उदाहरणस्वरूप सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रयोगों को प्रतिबंधित करना विभिन्न प्रकार से (सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक) शोषण करना इत्यादि राजनीतिक अधिकारों एवं आकांक्षाओ पर कुठाराघात व उनका अतिक्रमण करना इत्यादि जन चेतनाओं ने समाज की कुरीतियाँ को जन्म दिया। दलित इतिहास का वर्तमान स्वरूप जानने के लिए आर्यों के आगमन से पूर्व की समाज व्यवस्था के अन्तर्गत मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ–साथ भारत की प्राचीन वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था पर दृष्टिपात करना आवश्यक हैं। भारत में जाति व्यवस्था का प्रारम्भ वैदिक काल का अन्तिम चरण (800–500ई०पूर्व०) और उत्तर वैदिक काल (500–200ई०पू०) से माना जाता है। भारत में जाति प्रथा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत प्रचलित है। जिनमें परम्परागत सिद्धांत, ब्राह्मणीय सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत एवं व्यावसायिक सिद्धांत प्रमुख हैं। भारतीय जाति व्यवस्था भौगोलिक, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारकों की अन्तः क्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। इस प्रकार देखा गया है कि भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योगदान रहा है। इनकी दयनीय स्थिति एक दिन में नहीं हुई अपितु सदियों से चली आ रही है।

डॉ० अम्बेडकर के दलित चेतना पर विचार

डॉ० अम्बेडकर भारत के प्रमुख विधिवेत्ता एवं संविधान निर्माता होने के साथ–साथ दलितों के मसीहा एवं समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जातिगत भेद–भाव उन्मूलन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये और पुस्तकें लिखी। जिसमें **''द अनटचेबल हू आर दे'', हूँ वेयर दी शुद्राज'', बुद्धाज एण्ड हीज धम्मा'', ''पाकिस्तान एण्ड पार्टिशन ऑफ इण्डिया'', तथा ''द राइज एण्ड फॉल ऑफ हिन्दू वमून''** प्रमुख हैं।[1] इसके अलावा भी इन्होंने 300 से भी अधिक लेख लिखे। ये सभी लेख सामाजिक विषमता एवं भेदभाव के कारणों पर लिखे गये थे। उन्होंने अपने सम्पूर्ण अध्ययन एवम् परिश्रम के बल पर निम्न जाति वर्गों को नया जीवन व सम्मान दिलाया तथा दलित वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग दिया और उन्हें अपने विरूद्ध होने वाले अत्याचार, शोषण, अन्याय तथा अपमान से संघर्ष करने के लिए संविधान के द्वारा कानूनी शक्ति भी दी।[2] उन्होंने दलित वर्ग पर होने वाले अन्याय का विरोध ही नहीं किया व अपितु उन्हें आत्मा–सम्मान, स्वालम्बन, आत्मा–विश्वास, आत्मा–सुधार तथा दलितों के उद्धार के लिए उनके द्वारा सफलतापूर्ण प्रयास किये गये। उनके इस बलिदान को किसी भी दृष्टि से आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाया नहीं जा सकता। उनकी दूरदृष्टि से भारतीय समाज के निम्न वर्ग ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। **पं० जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर हिन्दू समाज की दमनकारी प्रवृत्तियों के विरूद्ध किये गये विद्रोह का प्रतीक थे।[3] डॉ० बी०आर० अम्बेडकर** के अनुसार, सामाजिक प्रताड़ना राज्य द्वारा दिए जाने वाले दण्ड से भी कहीं अधिक दुःखदाई होती है। उन विशद कारणों को जानने के लिए उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन करके यह बताने की चेष्टा की, कि भारतीय समाज में वर्ण–व्यवस्था, जाति–व्यवस्था तथा अस्पृश्यता का प्रचलन समाज में कालान्तर में आयीं विकृतियों के कारण उत्पन्न हुआ न कि प्रारम्भिक से ही समाज में विद्यमान थीं।[4]

2. वर्ण व्यवस्था का विरोध

भारतीय सामाजिक संगठन का आधार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर आधारित रहा है। इस व्यवस्था के आधार पर समाज को अपने कार्यों के विभाजन पर चार भागों में विभाजित कर रखा था। ''उन्होंने इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण संकीर्ण बताते हुए, इसकी कटु आलोचना की थी। उनके शब्दों में ''वर्ण व्यवस्था श्रम के विभाजन पर आधारित न होकर 'श्रमिकों के विभाजन' पर आधारित थी।'' इसलिए वह जीवन–पर्यन्त ब्राह्मणवाद एवं जाति–प्रथा के विरूद्ध संघर्षशील थे।[5]

भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढाँचा लोकतांत्रिक मूल्य आधारित बना रहे। यह डॉ० भीमराव अम्बेडकर की परिकल्पना थी।[6] वे लोकतन्त्र के पक्षधर होने के साथ–साथ भारत के जनतंत्र को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र शासन की पद्धति बिना खून–खराबे के क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकती है।[7] लेकिन भारत के जनतंत्र के प्रति वे बहुत आश्वत नहीं थे, क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना जाति एवं वर्ण सिद्धांत के आधार पर अपने कट्टरत्तम रूप में अस्तीत्व में है और वह जनतंत्र विरोधी है।[8]

भारतीय राजनीतिज्ञ हमेशा से सामाजिक सुधारों की अपेक्षा राजनीतिक बदलाव में अधिक रूचि दिखाते रहे हैं। डॉ० अम्बेडकर ने **'जातिप्रथा उन्मूलन'** जैसी महत्वपूर्ण मूल्यांकन करने संबंधित लेखों में भेदभावपूर्ण व्यवहार की आलोचना की है। एक समय था, जब यह माना जाता था, कि सामाजिक कुशलता के बिना अन्य कार्य क्षेत्रों में प्रगति असंभव है।[9] **डॉ० अम्बेडकर** ने स्वतंत्रता आन्दोलन से पूर्व की पृष्ठभूमि में राजनीतिक उत्थान, सामाजिक सुधार के पक्षधरों में चल रहे विवादों के पीछे ब्राह्मणवाद एवं जातिवाद से पर्दा हटा दिया।[10] **श्री बनर्जी** ने अपनी घोषणा में आलोचना करते हुए लिखा है– ''मैं सामाजिक सुधार के बारे में बात करूंगा, मैं राजनीतिक प्रवृत्ति के हिन्दुओं से पूछता हूँ, कि जब आप अपने ही देश के अछूतों जैसे एक बहुत बड़े वर्ग को सार्वजनिक व आम सड़कों का प्रयोग करने नहीं देते तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हो।[11] जाति व्यवस्था के यथास्थितिवादी स्वरूप में निहित श्रेणी विभाजन के आधार पर मानव के साथ निम्न जातियों के सन्दर्भ में किया जानेवाला व्यवहार क्रूरतापूर्ण और नृशंस है। जन्म आधारित जाति व्यवस्था मूलतः खामियों से भरी है। जिसमें व्यक्ति को पहचाना उसकी रूचि अथवा कुशलता को नकारकर उसके जन्म के आधार पर निश्चित किया गया था।[12] किसी भी देश के जनतांत्रिक ढांचे की बुनियाद ऐसी भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के साथ पड़ना बहुत खतरनाक तथा असफलता की ओर ले जाने वाली हो सकती है।

3. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर के जाति उन्मूलन कार्य

डॉ० अम्बेडकर तात्कालीन समय में दलितों (अछूत) के साथ हो रहे निरन्तर उत्पीड़न, बहिष्कार, अवहेलना, तिरस्कार जैसे अन्यायपूर्ण घटनाओं को करीब से देख रहे थे। एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर शासन करने का आधार भारतीय भेदभावपूर्ण संरचना है जिसके उन्मूलन के लिए एक वैचारिक भूमि का निर्माण वे कर चुके थे।[13] ब्राह्मणवाद ने जाति का निर्धारण व्यक्ति के जन्म के साथ जोड़कर उस दिशा में जरूरी धर्मशास्त्रों की निर्मित करके धर्मनिर्देशों द्वारा सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा कर अस्पृश्यों की एक अलग श्रेणी तैयार करके उन्हें सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्य (अछूत) घोषित करके शिक्षा, सम्पत्ति एवं मनपंसद व्यवसाय करने के बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। इसके लिए धर्म के कानूनों का विधि–विधान तैयार किया, जो मनुस्मृति के नाम से जाना जाता था।[14]

डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दुओं के धर्मग्रन्थ मनुस्मृति का निषेध करने हेतु **27 दिसम्बर 1927 को 'महाड परिषद'** में प्रतिकात्मक रूप से मनुस्मृति की प्रत्तियों को सार्वजनिक तौर पर जलाया गया। महाड़ की क्रान्ति द्वारा दलितों के मानव अधिकारों को प्राप्त करके सदियों पुरानी विषमतावादी अमानवीय जाति–प्रथा के विनाश की घोषणा कर दी। समता का यह विचार सामाजिक आन्दोलन के वैश्विक मानवीय मूल्यों का आधार था। **''जाति का विनाश'' फिलॉसोफी ऑफ हिन्दुइज्म** और **बुद्ध और उनका धम्म** जैसी विश्व प्रसिद्ध रचनाओं द्वारा डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म के कर्मकाण्डी यथास्थितिवादी विचारधारा की सच्चाई को उजागर किया। दलित वर्ग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय व अत्याचार को जारी रखना तथा सामाजिक संरचना के आधार पर भेदभाव का न थमना। इससे दलित वर्ग का एक सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब प्रस्तुत किया गया है, कि **'दलित वर्ग की राजनीतिक चेतना में भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन'** व दलित वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति कैसी है।[15]

4. भारतीय संविधान और डॉ० बी०आर० अम्बेडकर

20वीं शताब्दी मे दलित–वर्ग की स्थिति क्या थी, तथा संविधान में दलितों के लिए विशेष प्रावधान बनाने अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए अलग से आयोग का गठन करने के बाद भी इनकी स्थिति में कहाँ तक सुधार हो सका व सत्ता में आने वाली पार्टियों द्वारा दलितों के लिए कोई विशेष प्रावधान भी किये जा रहे हैं या नहीं। जिनसे देश की एकता और अखण्डता को बनाये रखने में सहायता मिलेगी। दलित समाज की मानसिकता को समझकर उनकी समस्याओं एवं उनके आचरण तथा अपेक्षाओं को समझना आवश्यक है, लेकिन वास्तविक रूप से आज भी इन्हें सामाजिक रूप से शोषित और अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इनके व्यापक अध्ययन के बिना दलित–वर्ग की वास्तविक स्थिति को नहीं जाना जा सकता और न ही उसकी सही स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकता है।

दलित जातियों के उत्थान के लिए स्वतंत्रता आन्दोलन के दिनों से ही प्रयास किये जाते रहे हैं। तथापि इस दिशा में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्य जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई है। भारतीय संविधान ने भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया है।[16] अनुच्छेद–38 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अन्तर्गत कहा गया है कि **''राज्य लोगों के कल्याण में सुधार करने के लिए उसे इस तरह से सुरक्षित तथा रक्षित रखने के लिए प्रभावपूर्ण प्रयास करेगा। जिससे एक जैसी समान व्यवस्था उत्पन्न की जा सके जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लागू हो।''** राज्य को खासकर कमजोर समुदाय की देखभाल करनी है। कमाजोर वर्ग में भाग–4 की भारतीय संविधान के अनुच्छेद–46 में समुदाय के कुछ कमजोर वर्गों का खासतौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख है। जो व्यक्ति (वर्ग) अन्य समूहों की अपेक्षा आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से अधिक पिछड़े हैं। उनके हित के लिए राज्य विशेष रूप से ध्यान रखेगा। **अनुच्छेद–46** में कहा गया है कि **''राज्य समुदाय को कमजोर वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की बड़ी सावधानी से उन्नति करेगा।''** इस धारा के परिपालन में ही कुछ वर्गों की उन्नति तथा रक्षा के लिए एक पृथक विभाग खोला गया है। एक अन्य धारा जो पिछड़े क्षेत्रों के लिए काम करती है। यह **धारा–224** में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन सम्बन्ध विषयों में राज्य को निर्देश करने का केन्द्रीय सरकार को अधिकार है। संविधान को भाग–16 जो कुछ विशेष वर्गो से सम्बन्धित है, अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों के लिए संसद और विधान सभाओं में कुछ सीमित अवधि के लिए स्थानों को

आरक्षण के कार्य तथा सेवाओं में भी संरक्षण करने के काम का उल्लेख करता है। अनुच्छेद–330 से 336 तथा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

अनुच्छेद–339 के अनुसार राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण से सम्बन्धित रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति की आज्ञा से एक आयुक्त की नियुक्ति किसी भी समय हो सकती है। अनुच्छेद 340 (1)[17] विशेष रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख करती है। इसमें कहा गया है कि ''राष्ट्रपति एक आयोग को नियुक्त करने की आज्ञा दे सकता है, जिसके सदस्य वे लोग होगें जिन्हें वह भारत की सीमा के अन्तर्गत सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का अनुसंधान कर सकने तथा उन परेशानियों का जिनमें वे परिश्रम करते हैं, सक्षम हैं। संविधान में प्रयुक्त समुदाय के कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने के लिए कुछ ऐसी कसौटियाँ निश्चित की गयी हैं, जिनके आधार पर यह कह सकते हैं कि अमुक समुदाय या समूह को पिछड़ा माना जाए या नहीं। पिछड़े वर्ग को चार प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं–

- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
- पूर्व अपराधी जातियाँ अथवा निर्दिष्ट समुदाय
- अन्य पिछड़े वर्ग

फलतः सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में एकरूपता के आधार पर विचार करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। प्रायः तथ्यों से ज्ञात होता है कि 89.71 प्रतिशत सूचनादाता उच्च जाति के द्वारा किये जाने वाले शोषण के प्रति अत्यधिक सचेत और जागरूक हैं। वे अनुसूचित जाति की रक्षा और कल्याण के लिए संघर्ष की नीति का अनुमोदन करते हैं। जातिगत हितों और स्वार्थों के प्रति उनमें अत्यधिक जागरूकता है तथा उच्च जाति से शोषण मुक्त होने के लिए संघर्ष की आवश्यकता का अनुभव करते हैं।[18] भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी परम्परागत सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

5. डॉ० बी०आर० अम्बेडकर द्वारा जातिगत उन्मूलन पर भारतीय संविधान में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है–

- अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाये तथा इसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया जाये (अनुच्छेद–17)।
- अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाये और इन्हें सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाया जाये (अनुच्छेद–46)।
- हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों को सभी हिन्दुओं के लिए खोल दिए जाएं (अनुच्छेद–25 ख)।
- दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान का उपयोग करने पर, ताल–तालाब, स्नानघर, सड़क तथा सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने पर लगी रूकावटें हटाई जाएं, जिनका पूरा या कुछ व्यय सरकार उठाती है अथवा जो जनसाधारण को निर्मित व समर्पित हैं। (अनुच्छेद–25 (2)
- अनुसूचित जाति, जनजातियों के भारत में स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने, रहने बसने तथा सम्पत्ति खरीदने, रखने बेचने के अधिकारों पर राज्य द्वारा उचित प्रतिबन्ध लगा सकने की व्यवस्था है। (अनुच्छेद–19 (2)
- सरकार द्वारा संचालित अथवा सरकारी कोष से सहायता पाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश पर कोई रूकावट न रखी जाए। (अनुच्छेद–29 (2)
- यदि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो, तो सरकार को उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का अधिकार देना और सरकार द्वारा नौकरियों में नियुक्ति के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना। (अनुच्छेद–16 तथा 335)।

6. जाति उन्मूलन सम्बन्धित प्रावधान/अधिनियम

भारत सरकार 1954 से अस्पृश्यता उन्मूलन आन्दोलन के लिए आर्थिक सहायता देती आ रही है। अस्पृश्यता के प्रश्न पर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की शिक्षा तथा उनके आर्थिक उत्थान की समस्याओं पर विचार करने के लिए अप्रैल 1965 में **श्री एल० ऐलयिपेरूलम** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने **30 जनवरी 1972** को अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी। समिति ने **अनुसूचित जाति/जनजातियों** के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर जोर देने के साथ–साथ यह भी सुझाया है कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम को और अधिक कारगर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है।

यह अधिनियम **1 जून, 1976** को लागू हुआ इसके अधीन **'अस्पृश्यता'** के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना स्थल पर जाने से वंचित करना दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक दुकानों, भोजनालयों, चिकित्सालयों अथवा शिक्षालयों, होटलों या मनोरंजन के स्थान पर जाने से रोकना, किसी भी सड़क, नदी–कूएँ, तालाब, स्नान घाट, शौचालय, धर्मशाला, सराय तथा होटल अथवा भोजनालय में रखे बर्तनों का उपयोग करने से रोकना भी एक दण्डनीय अपराध था।[19]

संविधान के **अनुच्छेद 330 तथा 332** के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जाति/जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में इन लोगों के लिए लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। पंचायती राज लागू होने के बाद पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में भी अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

संविधान के अनुच्छेद–338 के अन्तर्गत संविधान में की गई अनुसूचित जाति/जनजातियों की सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच–पड़ताल करने तथा इसका कार्य रूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अवगत कराने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

संविधान के अनुच्छेद–339 के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दे सकती है।[20] अतः अनुसूचित जातियों/जनजातियों के साथ कुछ सामाजिक समस्यायें हैं, जो उनके लिए अजीब हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, भूमि पुर्नव्यवस्था की योजनाएं, ग्रामीण तथा लघु उद्योग कार्यक्रम और कृषक मजदूरों की भलाई के लिए चलाये गये अन्य कार्यक्रम अनुसूचित जातियों जनजाति व कमजोर वर्गों को स्तर को उठाने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः शिक्षा केवल भूमिहीन वर्ग के लिए काम के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अनिवार्य नहीं है, बल्कि आरक्षण तथा अन्य प्रशासनिक रियायतों से लाभ उठा सकने की दृष्टि से भी आवश्यक है। राजनैतिक स्तर पर पर अलग से अपना दल बनाया है अपनी मांगो को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तर पर दलित वर्ग के रहन–सहन अन्य वर्गों के समान हो गया। शादी समारोह जैसे प्रोग्राम में अन्तर नहीं आर्थिक स्तर पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दलित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाये गये है। ताकि उन्हें समाज के निम्न स्तर से उठाया जा सके समाज में अन्य वर्गों के समान लाया जा सके। जातिगत भेदभाव का तरीका ही अब बदल गया है। अब दलित वर्ग स्वयं जातिवाद को बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष :–

वर्तमान में, डॉ० भारतीय समाज में दलितों के अधिकारों और समानता के लिए जो संघर्ष किया जा रहा है। उसकी शुरूआत डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गयी थी। यह आन्दोलन उच्च जातियों के सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती देने के लिए किया जाता है। राजनैतिक स्तर पर अलग से अपना दल बनाया है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सामाजिक स्तर पर दलित वर्ग के रहन–सहन अन्य वर्गों के समान हो गया। शादी समारोह जैसे प्रोग्राम में अन्तर नहीं आर्थिक स्तर पर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दलित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाये गये है। ताकि उन्हें समाज के निम्न स्तर से उठाया जा सके समाज में अन्य वर्गों के समान लाया जा सके। जाति भेदभाव का तरीका ही अब बदल गया है अब दलित वर्ग स्वयं जातिवाद को बढ़ा रहा है।

संदर्भ सूची

1. त्रिपाठी, डॉ० माधवी, डॉ० भीमराव : ''जीवन संघर्ष और विचार'' वाईकिंग बुक्स, जयपुर 2011, पृ०सं० 11.

2. भटनागर, डॉ० राजेन्द्र मोहन, ''डॉ० बाबा साहब अम्बेडकर जीवन और दर्शन'', किताबघर, प्रकाशन जयपुर, 1980, पृ०स० 21.
3. जाटव, डी०आर०, ''सोशल फिलॉसफी ऑफ डॉ० अम्बेडकर'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर राजस्थान 1977 पृ०स० 46.
4. नाईक, सी०डी०, ''बौद्ध वचन तथा अम्बेडकर विचार'', कल्पज पब्लिकेशन दिल्ली, 2006, पृ०स० 221.
5. सोनटक्के, यशवन्त, ''बाबा साहेब डॉ० अम्बेडकर के विचार सम्यक प्रकाशन'', गौतम प्रिण्टर्स नई दिल्ली, 2012, पृ०स० 213.
6. अग्निहोत्री, रमा शंकर, ''भारत रत्न डॉ० अम्बेडकर,'' भारत प्रकाशन नई दिल्ली 1994, पृ०स० 18.
7. नाईक, सी०डी० ''बुद्धत्व के अग्रदूत डॉ० अम्बेडकर,'' कल्पज पब्लिकेशन्स दिल्ली 2007, पृ०स० 45.
8. शाहारे डॉ० एम०एल०, ''डॉ० भीमराव अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा एवं सन्देश
9. नवयुग, ''अम्बेडकर जयंती'' विशेषांक दिनांक 13.04.1947.
10. कुबेर, डब्ल्यू एन०, ''आधुनिक भारत के निर्माता, भीमराव अम्बेडकर गर्वनमेण्ट पब्लिकेशन नई दिल्ली 1977.
11. वर्मा, डॉ० बृजलाल, ''डॉ० भीमराव अम्बेडकर'', भावना प्रकाशन कानपुर 1991 पृ०स० 13.
12. पाण्डेय, डा० जय नारायण, भारत का संविधान, ''इलाहाबाद'', 2002 पृ०सं० 19.
13. बसु, डॉ० दुर्गादास, ''भारत का संविधान– एक परिचय'', पृ०स० 225.
14. रामप्यारे, ''हरिजन युवकों का राजनीतिक समाजीकरण'', दिल्ली 1991, पृ०स० 2013.
15. गवेषणा और सन्दर्भ विभाग–भारत (वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ) 1994, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली पृ०स० 219.
16. बालव, ''प्रत्यूब रंजन– अस्पृश्यता एवं विधि प्राविधान'', दिल्ली 1999 पृ०स० 64.
17. पाण्डेय, डा० जय नारायण, ''भारत का संविधान'', पृ०स० 270.
18. बसु, डॉ० दुर्गादास, ''भारत का संविधान'', पृ०स० 113.
19. गवेषणा और संदर्भ विभाग–भारत (वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली पृ०स० 115.
20. मदन, डॉ० जी० आर०, ''भारत में सामाजिक विकास की समस्याएं, दिल्ली 1992, पृ०स० 242.